 भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 702

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**नोटा मत के संबंध में निर्वाचन आयोग का सुझाव**

**+702. श्री प्रभात झा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग द्वारा सरकार को ऐसा कोई सुझाव दिया गया है, जिसके तहत ऐसा उपबंध किया जाए ताकि जीतने वाले उम्मीदवार से ज्यादा मत ‘नोटा’ में पड़ने से उस चुनाव को रद्द किया जाए और फिर से मतदान कराया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई पहल की है/कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** जी, नहीं ।

**(ख) से (घ) :** प्रश्न ही नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*